(20)

संख्या—   / XXVIII –5–2011–144 / 2007

प्रेषक,

सुनीलश्री पांथरी,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग– 5   देहरादून, दिनांक, 24 मई, 2011

विषयः **वित्तीय वर्ष 2011–12 में राज्य योजना के अन्तर्गत राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय, घेटी, जनपद बागेश्वर के पुनरीक्षित लागत पर स्वीकृति प्रदान किये जाने विषयक।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–807 / XXVIII–5 / 2007–144 / 2007, दिनांक 31.12.2007, एवं आपके पत्र सं0–7प / 1 / एस0ए0डी0 / 32 / 2007 / 31786, दिनांक 18.11.2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि श्री राज्यपाल महोदय राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय, घेटी, जनपद बागेश्वर के निर्माणाधीन कार्यो को पूर्ण किये जाने हेतु पुनरीक्षित आगणन की आंकलित लागत ₹73.52 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षित संस्तुत धनराशि ₹62.24 लाख (रूपये बासठ लाख चौबीस हजार मात्र) पर प्रशासनिक / वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए पूर्व में अवमुक्त ₹57.04 लाख के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2011–12 में सम्पूर्ण अवशेष धनराशि ₹05.20 लाख (रूपये पांच लाख बीस हजार मात्र) अवमुक्त करते हुए, निम्नलिखित शर्तो के अधीन व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– एकमुश्त प्राविधानों को कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2– कार्य कराते समय लो0नि0 विभाग के स्वीकृत विशिष्टियों के अनुरूप कार्य कराये तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाये । कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण ऐजेन्सी कर होगा।

3– धनराशि तत्काल आहरित की जायेगी तथा परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम लि0, बागेश्वर को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्य के प्रगति की निरन्तर समीक्षा करते हुऐ कार्य को समयबद्ध ढंग से शीघ्र पूर्ण कराया जाय। स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष में करते हुए कार्य को इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर भवन विभाग को हस्तगत कर दिया जायेगा। विलम्ब की दशा में आगणन पुनरीक्षण पर किसी भी दशा में विचार नही किया जायेगा । साथ ही इस प्रकरण में हुई समय / लागत वृद्धि के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाय।

4– स्वीकृत धनराशि के आहरण से संबंधित बाऊचर संख्या एवं दिनांक की सूचना तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी तथा धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित प्रावधानो में मैनुअल तथा शासन द्वारा मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5– कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शैड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नही हैं। अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियंता से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

6– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आंगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त किया जाये।

7– कार्य करने एवं सामग्री कय करने से पूर्व मानकों एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली का कड़ाई से पालन किया जाय ।

8– कार्य पर उतना ही व्यय किया जायेगा जितना कि स्वीकृत मानक है । स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

9– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निमार्ण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

.......2

C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\sonia g o grant 2011\120.doc Page 14

10– कार्य करने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्चधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा ले। निरीक्षण के पश्चात आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाये।

11– स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश सं0–209/XXVII(1)/2011, दिनांक 31.03.2011 में उल्लिखित शर्तो/दिशा निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।

12– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला में अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय ।

13– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है उसी पर व्यय किया जाये। एक मद की राशि को दूसरी मद में कदापि व्यय न किया जाये।

14– स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा में माह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध करायी जायेगी तथा यह भी स्पष्ट किया जायेगा कि इस धनराशि से निर्माण का कौन सा अंश पूर्णतया निर्मित किया गया है।

15– मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन के शा0सं0–2047/xiv–219(2006) दिनांक 30–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य करते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

16– कार्यदायी संस्था से वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15.12.08 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर एम0ओ0यू0 करना सुनिश्चित किया जायेगा ।

17– उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2011–12 के अनुदान सं0–12 के लेखाशीर्षक 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 02–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें 110–अस्पताल तथा औषधालय 07–एलोपैथिक चिकित्सालयों का निर्माण, 00–आयोजनागत, 24–वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

18– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0 37 (P) /XXVII(3)/1011-12 दिनांक 19 मई, 2011 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय,

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव

संख्या–769 (1)XXVIII–5–2011–144/2007 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा देहरादून।
2– निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– आयुक्त, कुमायूं मण्डल, उत्तराखण्ड।
4– स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
5– जिलाधिकारी, बागेश्वर।
6– वित्त नियंत्रक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
7– मुख्य चिकित्साधिकारी, बागेश्वर
8– मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/बागेश्वर।
9– अपर सचिव, मा0 मुख्यमंत्री ।
10– परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निर्माण निगम लि0, बागेश्वर ।
11– बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
12– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0/गार्ड फाईल।

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव